



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275845
CG-DL-E-27082026-275845

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4601]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2026/भाद्र 5, 1948

No. 4601]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2026/BHADRA 5, 1948

गृह मंत्रालय
(सीटीसीआर प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2026

का.आ. 4786(अ).— राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और बिहार सरकार के परामर्श से, एतद्वारा पटना में स्थित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश – XXVI के न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु केवल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए अनन्य विशेष न्यायालय- II के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे बिहार राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/42/2022- एन.आई.ए.]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(CTCR Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2026

S.O. 4786(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency, Act 2008 (34 of 2008), the Central Government, in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the Patna High Court and the Government of Bihar, hereby designates the Court of District and Additional Sessions Judge- XXVI, Patna, as Exclusive Special Court No. II of NIA cases for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the said Act, exclusively for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court for National Investigation Agency mentioned above shall extend throughout the State of Bihar.

[F. No. 11011/42/2022- NIA]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2026

का.आ. 4787(अ).— राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से, एतद्वारा विशाखापत्तनम में स्थित Exclusive Special Court for Trial of NIA Cases को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु केवल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/42/2022- एन.आई.ए.]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2026

S.O. 4787 (E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency, Act 2008 (34 of 2008), the Central Government, in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court and the Government of Andhra Pradesh, hereby designates the Exclusive Special Court for Trial of NIA Cases at Visakhapatnam as Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the said Act, exclusively for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court for National Investigation Agency mentioned above shall extend throughout the State of Andhra Pradesh.

[F. No. 11011/42/2022- NIA]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2026

का.आ. 4788(अ).— राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान सरकार के परामर्श से, विशिष्ट न्यायालय (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट प्रकरण) जयपुर को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु केवल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे राजस्थान राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/42/2022- एन.आई.ए.]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2026

S.O. 4788(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency, Act 2008 (34 of 2008), the Central Government, in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the Rajasthan High Court and the Government of Rajasthan, hereby designates the Special Court (National Investigation Agency Act Cases) Jaipur as Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the said Act, exclusively for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court for National Investigation Agency mentioned above shall extend throughout the State of Rajasthan.

[F. No. 11011/42/2022- NIA]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.